न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/02/2021	08–10–2021	11–01–2023

1– मम्मूदीन पुत्र स्व0 सिताब जाति मेव,
2– कमरूदीन पुत्र स्व0 सिताब जाति मेव,
3– जमालुदीन पुत्र स्व0 सिताब जाति मेव,
4– छोटे खॉ पुत्र स्व0 सिताब जाति मेव, निवासीयान ग्राम रसूलपुर तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1– मुन्सरफ पुत्र जैन खॉ, जाति मेव निवासी ग्राम मीना का बास बडौदा मेव तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर (राजस्थान)
2– तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पौडेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ दिनांक 02.11.2020 बाबत सनद पट्टा संख्या 6677 दिनाक 02.11.2020।

उपस्थितः–
01. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलान्ट
02. श्री जगदीश चन्द सतीजा –वकील रेस्पोडेन्ट 1
03. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 2

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ के आदेश दिनांक 02.11.2020 जिसके द्वारा सनद पटटा संख्या 6677 दिनाक 02.11.2020 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि है, जिस पर सम्वत 2003 से जब यह भूमि निष्क्रान्त घोषित हुई, तब विधि अनुसार जो काश्तकार लोकल टीनेन्ट की हैसियत से काश्त कर रहा था, वह उक्त आराजी की कीमत जमा करवाकर आंवटन कराने का अधिकारी है। अपीलान्टस के बुजुर्गो का उक्त आराजी पर निष्क्रान्त भूमि घोषित होने के समय से ही बदस्तूर कब्जा होने के कारण उन्हे ही उक्त आराजी के आंवटन का प्रथम अधिकार था व है और वे ही विवादित आराजी की कीमत जमा करवाकर आंवटन के अधिकारी थे। रेस्पोडेन्ट मुन्सरफ ग्राम रसूलपुर तहसील रामगढ जिला अलवर जहॉ कि विवादित आराजी खसरा न0 हाल 12 रकबा 1.28 है0 स्थित है, वहॉ का निवासी नही है, बल्कि वह ग्राम रसूलपुर से करीब 35–40 किलो मीटर दूर ग्राम मीना का बास बडौदामेव तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर का मूल निवासी है और वही अपने परिवार सहित रह रहा है, तथा वही का उसका रार्शन कार्ड व आधार कार्ड बना हुआ है, और वही की ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम रसूलपुर तहसील रामगढ में कभी नही रहा न कभी उसके बुजुर्ग ग्राम रसूलपुर में रहे न ही उनका ग्राम रसूलपुर की वोटर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

लिस्ट व ग्राम पंचायत में कही नाम दर्ज है, न यहाँ का उनका कोई राशन कार्ड व आधार कार्ड है। इस प्रकार जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम रसूलपुर तहसील रामगढ का निवासी नही है, न कभी था। न उसके बुजुर्गान यहाँ के निवासी रहे है। तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किस आधार पर आराजी का आंवटन कर दिया गया और गैर खातेदारी के अधिकार दे दिये जिससे यह स्पष्ट है, कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व एवं विधिक प्रकिया के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, और बिना कब्जा के ही खिलाफ मौका व कानून खातेदारी दिये जाने बाबत निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी हाल खसरा न0 12 रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम रसूलपुर तहसील रामगढ जिला अलवर अपीलान्टस की बुजुर्गान पुश्तैनी आराजी है जिसे काबिल काश्त बनाने में अपीलान्टस व उनके बुजुर्गो ने काफी मेहनत की है। और लागत लगायी है, अपीलान्टस के बुजुर्ग व पिता जब तक जीवित रहे विवादित आराजी पर काबिज रहकर उसका उपयोग व उपभोग करते रहे तथा उनकी फौतीदगी के बाद अपीलान्टस विवादित आराजी पर काबिज रहकर बेरोकटोक काश्त करते चले आ रहे है। इस लिए विवादित आराजी से रेस्पोडेन्टस संख्या 1 का कोई संबंध सरोकार व कब्जा काश्त आदि तरह का नही है। न ही कभी रहा है, अर्थात रेस्पोडेन्टस संख्या 1 विवादित आराजी से कतई गैरकाबिज व गैरवास्ता शख्स है। इस लिए आलोच्य निर्णय जेरे अपील व उसके आधार पर जारी किया गया सनद पटटा खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार कार्यालय की टिप्पणी में आई.एल.आर ने अपनी रिपोर्ट में मुताबिक पटवारी हल्का के विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मुन्सरफ का कब्जा बताया गया है, रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गलत व संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। जिसका स्पष्ट अर्थ है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है, वरना पटवारी हल्का/आई. एल. आर स्पष्ट रूप से लिखते कि मौके पर गये तथा मौके पर विवादित आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मुन्सरफ का मौजुद मिला तथा फसल खडी हुई है, या जोत लगी हुई है किन्तु रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी अंकित नही है। जिससे स्पष्ट रूप से यह जाहिर हों रहा है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। बल्कि अपीलानटस का ही कब्जा काश्त है। तहत अदालत द्वारा विधिक प्रकिया का पालन कतई नही किया गया है, विवादित आराजी पर अपीलान्टस का कदीमी कब्जा अपने बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है। और वक्त जारी किये जाने सनद पटटा दिनाक 02.11.2020 को भी अपीलान्टस का ही मौके पर कब्जा था, जो आदिनाक तक बदस्तूर मौके पर चला हा रहा है, किन्तु अपीलान्टस को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना पक्षकार बनाये बिना कोई नोटिस जारी किये न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो की स्पष्ट अवहेलना करते हुये आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने यह भी जानकारी नही की कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम रसूलपुर तहसील रामगढ जहाँ विवादित आराजी स्थित है, का मूल निवासी है, भी या नही क्योकि ऐसा न तो कोई ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश हुआ है, और न ही कोई वोटर लिस्ट, आधार कार्ड व पहचान पत्र आदि पेश हुआ है। फिर भी तहत अदालत ने बिना कोई सोचे विचारे सरासर विधि विरूद्व एवं विधिक प्रकिया के खिलाफ ग्राम रसूलपुर से करीब 35–40 किलो मीटर दूर दीगर तहसील गोविन्दगढ के निवासी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 को विवादित आराजी का सनद पटटा खातेदारी जारी किया है, जो नियम विरूद्व है। विवादित आराजी कस्टोडियन मकबूजा की चारागाह की भूमि है, प्रथम तो चारागाह कस्टोडियन भूमि सार्वजनिक भूमि होने के नाते काबिल आंवटन ही नही है। दूसरे पटवारी हल्का को मौके पर जाकर मुनादी करवानी चाहिये थी, कि विवादित आराजी की कीमत ली जाकर आंवटन की जा रही है। किन्तु ऐसा कतई नही किया गया है, ऐसी स्थिति में भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

आलोच्य आदेश निरस्त किये जानें योग्य है। आलोच्य आदेश जेरे अपील से अपीलान्टस को भारी नुकसान है, क्योकि आराजी मुतनाजा पर अपीलान्ट का कब्जा उनके बुजुर्गान के समय से कदीमी से चला आ रहा है व आदिनाक भी मौके पर काबिज है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी से कतई गैरकाबिज व गैरवास्ता शख्स है। तहत अदालत द्वारा पारित सनद पटटा की पूर्व में अपीलान्टस को कोई जानकारी किसी तरह से नही थी, बल्कि इसकी जानकारी अपीलान्टस को पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 17.06.2021 को दी गयी जिस पर अपीलान्टस ने तहसील कार्यालय जाकर जानकारी की और नकल हेतु दिनाक 18.06.2021 को आवेदन किया जिस पर दिनाक 23.06.2021 को नकल प्राप्त हुयी। इसके बाद तुरन्त कानूनी सलाह मशवरा कर आवश्यक इन्तजाम कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, अपील विलंब से पेश किये जाने में मिन अपीलान्टस की कोई बदयांति व लापरवाही किसी तरह की नही रही है, देरी का समय नेक नियति पर आधारित होने से काबिले माफ है, और मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्टस अदर मियाद शुमार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.11.2020 सनद पटटा संख्या 6677 दिनाक 02.11.2020 को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी मिन रेस्पोडेन्ट की आंवटित शुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर अपीलान्टस तथा उनके बुजुर्गान का कोई संबंध नही था न ही रहा है, न ही कभी काबिज थे। रेस्पोडेन्ट के द्वारा जुताई कर बाजरे की फसल बोई हुई है व मैदानी बोरिंग भी लगाया हुआ है, जिससे एल्टीनेटर के माध्यम से सिचाई की जाती है, जिस पर बिजली का कनैक्शन नही लगा रखा है न ही बिजली विभाग में कनैक्शन हेतु एप्लाई किया है। मिन रेस्पोडेन्ट पूर्व में ग्राम रसूलपुर में रहता था जहॉ उसके परिवार के सदस्य अब भी रह रहे है। व ग्राम रसूलपुर में व मीणा का बास में भी रहता है। और निरन्तर आवागमन बना रहता है, ग्राम रसूलपुर में आवाजाही रहती है। अपीलान्ट राजनेतिक प्रभावशाली व्यक्ति है। और इनके परिवार में पूर्व से सरपंच पदासीन रहे है। जिसका दुरूपयोग कर अनावश्यक रूप से मिन रेस्पोडेंन्ट को नाहक तंग व परेशान किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट्स निरस्त फरमायी जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ के आदेश दिनांक 02.11.2020 जिसके द्वारा सनद पटटा संख्या 6677 दिनाक 02.11.2020 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विधिक जॉच कर विधिवत रूप से पटटा जारी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर गौर किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत के निर्णय दिनांक 02.11.2020 के विरूद्ध दिनांक 19.07.2021 को न्यायालय में पेश की है, जो करीब 07 माह विलम्ब से पेश की गई है। उक्त अवधि को राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट के बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त रही है। किन्तु अपीलान्ट ने अपील में

अंकित तथ्यों के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। जिससे यह प्रमाणित/स्पष्ट होता हो कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट अपीलान्ट के बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त रहा हो। अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ के आदेश दिनांक 02.11.2020 जिसके द्वारा सनद पटटा संख्या 6677 दिनाक 02.11.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)